न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रमेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 59/2023
निर्णय दिनांक : 26.10.2023
GCMS NO : 2023/99 दायर दिनांक – 20.06.2023

बालाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम डूंगरास अगुणा हाल निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खाता संख्या 94 में अंकित खसरा संख्या 221/92 तादादी 0.8578 हैक्टेयर रोही ग्राम भानीसर हरावतान व खाता संख्या 153 में अंकित खेत खसरा संख्या 374/67 तादादी 0.1680 हैक्टेयर व खसरा संख्या 380/30 तादादी 1.5620 हैक्टेयर रोही ग्राम डूंगरास अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है, जिसमें वादी का नाम बालूसिंह पुत्र किशनाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी डूंगरास अगुणा अंकित है जबकि वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, जनाधार कार्ड में बालाराम पुत्र किशनाराम अंकित है जबकि भूमि में [illegible] व भूलवश बालाराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर बालूसिंह पुत्र किशनाराम नाम अंकित हो गया है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात में नाम बालाराम पुत्र किशनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त किया जावे। दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम बालूसिंह पुत्र किशनाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी डूंगरास अगुणा दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम बालाराम पुत्र किशनाराम है। बालूसिंह एवं बालाराम दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बालूसिंह पुत्र किशनाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी डूंगरास अगुणा के स्थान पर बालाराम पुत्र किशनाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी डूंगरास अगुणा किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पास बुक्स की प्रति. तथा राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम बालाराम पुत्र किशनाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खाता संख्या 94 में अंकित खसरा संख्या 221/92 तादादी 0.8578 हैक्टेयर रोही ग्राम भानीसर हरावतान व खाता संख्या 153 में अंकित खेत खसरा संख्या 374/67 तादादी 0.1680 हैक्टेयर व खसरा संख्या 380/30 तादादी 1.5620 हैक्टेयर रोही ग्राम डूंगरास अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित में वादी का नाम बालूसिंह पुत्र किशनाराम के स्थान पर बालाराम पुत्र किशनाराम दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टि यथावत रहे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

रमेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दायानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **श्री रमेश कुमार आर.ए.एस**

बालाराम बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 59 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खाता संख्या 94 में अंकित खसरा संख्या 221/92 तादादी 0.8578 हैक्टेयर रोही ग्राम भानीसर हरावतान व खाता संख्या 153 में अंकित खेत खसरा संख्या 374/67 तादादी 0.1680 हैक्टेयर व खसरा संख्या 380/30 तादादी 1.5620 हैक्टेयर रोही ग्राम डूंगरास अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित में वादी का नाम बालूसिंह पुत्र किशनाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी डूंगरास अगुणा खातेदार के स्थान पर बालाराम पुत्र किशनाराम खातेदार हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी डूंगरास अगुणा खातेदार दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टि यथावत रहे।

चीज ....मुबलिग .... बाबत .... फीसदी

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 10. 2023

दस्तखत ....

ओहदा उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प अज... ... खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:06 IST
Reason: SelfAttested

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये